

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 = 200 के आधार पर जनवरी, 2023 से जून, 2023 के औसत सूचकांक 1787 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी :-
दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 1787 पर दिनांक : 01-08-2023 से दिनांक : 31-01-2024 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-

$$\frac{(1787 - 426) \times 2535.00}{426} = 8098.90 \text{ या } 8099$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1787 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2023 से दिनांक : 31-01-2024 तक
1	अकुशल	2535.00	8099
2	अर्द्धकुशल	2785.00	8898
3	कुशल	3090.00	9872

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1787 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक : 01-08-2023 से दिनांक : 31-01-2024 तक
1	अकुशल	2660.00	8498
2	अर्द्धकुशल	2925.00	9345
3	कुशल	3190.00	10192

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 2540 / 4-01/07

दिनांक : 2-8-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुरखुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।


(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।